

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक 563/126/आउशि/राज.स्था./2022

रायपुर अटल नगर दिनांक 08/09/2022



प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :-

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत।

संदर्भ :-

- 1 उच्च शिक्षा विभाग का आदेश कमांक-एफ-3-54/2022/38-1 दिनांक 29.08.2022 एवं पत्र कमांक-एफ-3-54/2022/38-1 दिनांक 07.09.2022
- 2 कार्यालयीन पत्र कमांक-535/आउशि/राज.स्था./2022 दिनांक 29.08.2022

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेखा है कि विभागीय समसंख्यक पत्र कमांक-एफ-3-54/2022/38-1 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन की व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्त विभाग से सहमति के आधार पर अनुमति प्रदान की गई है तथा विभागीय समसंख्यक पत्र कमांक-एफ-3-54/2022/38-1 दिनांक 07.09.2022 द्वारा शासकीय महाविद्यालय में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं के चयन की प्रक्रिया संबंधी पूर्व निर्धारित मापदण्डों की कडिका-7 में सशोधन किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 08/09/2022

पृ.कमांक 564/126/आउशि/राज.स्था./2022
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
 2. अपर संचालक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/दुर्ग/विलासपुर/जगदलपुर/अम्बिकापुर (छ.ग.)।
 3. समस्त जिला कोषालय अधिकारी।
-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

राज्यीय महाविद्यालय
उच्च शिक्षा विभाग
संभारण
महावारी भवन, नया रायपुर

संज्ञांक एफ 3-54/2022/38-1

नया रायपुर, दिनांक 07/08/2022

पति

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संसाधनसलय,
महावारी भवन, नया रायपुर (उ.प्र.)

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत।

- 00 -

राज्य शासन एतद्वारा प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध, स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन की व्यवस्था हेतु मत वर्ष की भांति इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की राहगति इस विभाग की समस्तस्यक ज्ञापन दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्रदान की गई है।

2/ शासकीय महाविद्यालय में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं के चयन की प्रक्रिया संबंधी पूर्व निर्धारित मापदण्डों की कठिकता-7 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

कठिकता-7 में पूर्व निर्धारित मापदण्ड		वर्तमान व्यवस्था	
चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड		चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड	
(एक)	मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अधिकतम 100 मेरिट अंक रहेंगे और इसका मापदण्ड निम्नानुसार होगा -	(एक)	मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अधिकतम 130 मेरिट अंक रहेंगे और इसका मापदण्ड निम्नानुसार होगा-
(क)	पी.एच.डी. तथा नेट/सेट एवं एम.फिल. के लिए	(क)	पी.एच.डी. तथा नेट/सेट एवं एम.फिल. के लिए
	50 मेरिट अंक		50 मेरिट अंक
(ख)	पी.एच.डी. के लिए	(ख)	पी.एच.डी. के लिए
	25 मेरिट अंक		25 मेरिट अंक
(ग)	नेट/सेट के लिए	(ग)	नेट/सेट के लिए
	20 मेरिट अंक		20 मेरिट अंक
(घ)	एम.फिल.	(घ)	एम.फिल.
	05 मेरिट अंक		05 मेरिट अंक

निरंतर-2-

(2)	स्वायत्तकार सचिव पर प्राप्तियों के लिए (अधिकतम) 50 मिनट अंक 15 के लिए 5 अंक 50 से 100 पर्यंत 01 प्रतिशत के लिए 01 अंक दिया जायेगा।	(बि)	स्वायत्तकार सचिव पर प्राप्तियों के लिए (अधिकतम) 50 मिनट अंक (50 के लिए 5 अंक 50 से 100 पर्यंत 01 प्रतिशत के लिए 01 अंक दिया जायेगा।)	
		(बि)	शासकीय महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन अनुभव के लिये (अधिकतम)	36 मिनट अंक
		(क)	एक शैक्षणिक सत्र में (न्यूनतम 5 माह से कम नाही)	05 मिनट अंक

3/ जिन महाविद्यालयों में निगत राज्यों में कार्यरत रह चुके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा कोई निर्देश दिया गया है, उन अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये न्यायालय निर्देशों के अधीन की जाये।

4/ कृपया अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में उपरोक्त व्यवस्था का पालन करना सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.ए.निर्मलकर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-54/2022/38-1
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 07/09/2022

- 01 महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- 02 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़,
- 03 समस्त संभागीय आयुक्त, (छ.ग.)
- 04 समस्त कलेक्टर, जिला
- 05 क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/अबिकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग
(छ.ग.)

निरन्तर — 3 —

1/13/1

- 06 विशेष साधारण, मागशीम मधीली, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर,
07 रायपुर प्राचार्य,
08 रायपुर जिला नोपोलय अधिकारी,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अवैतित।
09 आदेश फोल्डर।


अवर साधु

(-38) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3-54/2022/38-1
प्रति.

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2022

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)


विषय:- शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बायत्।

---00---

राज्य शासन एतद्वारा प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन की व्यवस्था हेतु गत वर्ष की भांती इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की सहमति प्रदान करता है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्र. एफ 2022-38-00266 दिनांक 25.08.2022 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.प्र. निर्मलकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-54/2022/38-1
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2022

- 01 सचिव, मुख्यमंत्री, छ.ग. मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर अटल नगर,
- 02 सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर, अटल नगर की ओर कम्प्यूटर एफ - 2022-38-00266 दिनांक 25.08.2022
- 03 महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- 04 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 05 समस्त संभागीय आयुक्त. (छ.ग.)

निरन्तर ---2---

1/2/1

- 06 समस्त कलेक्टर, जिला
- 07 क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग
(छ.ग.)
- 08 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
09 संबंधित प्राचार्य, -----
- 10 समस्त जिला कोषालय अधिकारी, (छ.ग.)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11 आदेश फोल्डर।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय-प्राचार्य इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया

जिला-कबीरधाम, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) महाविद्यालय कोड-2304

Email - pndriya@collegeindira.com, Website - www.collegeindira.com

क्रमांक / 275 / स्था. / 2022-23

पण्डरिया, दिनांक 07 / 09 / 2022

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2022-23 को सुचारु संचालन के लिए महाविद्यालय में होने वाले अतिथि व्याख्याता/जनभागीदारी मद में नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- संयोजक - श्री सुरेन्द्र कुमार तिग्गा, सहा.प्रा. राजनीति शास्त्र
- सदस्य - (1) श्री ओमप्रकाश देवांगन, सहा.प्रा. गणित
- (2) श्री अलेख कुमार पटेल, सहा.प्रा. भूगोल

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 276 / स्था. / 2022-23
प्रतिलिपि :-

पण्डरिया, दिनांक 07 / 09 / 2022

1. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. स्थापना शाखा इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. फोल्डर।

OL

प्राचार्य

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कार्यालय-प्राचार्य इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया

विकासखंड-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छग0), महाविद्यालय कोड-2003

Email - pandariacollege@gmail.com, Website- igcollegepandaria.ac.in

क्रमांक / 326 / स्था. / 2022-23

पण्डरिया, दिनांक 26/09/2022

अतिथि व्याख्याता अध्यापन हेतु विज्ञापन


छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर, अटल नगर के पत्र क्र. 563/126/आ.उ.शि./राज.स्था./2022 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08/09/2022 के परिपालन में शैक्षणिक सत्र 2022-23 एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित विषय में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता अध्यापन कार्य हेतु आवेदन पत्र दिनांक 06/10/2022 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर महाविद्यालय में जमा किए जा सकते हैं, उसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	विषय	रिक्त पद
1	अंग्रेजी	01

यह व्यवस्था निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- उपरोक्त पद हेतु शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर एवं आयुक्त उच्च शिक्षा रायपुर के आदेश अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रवीण्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार अध्यापन हेतु बुलाया जा सकेगा। मानदेय राशि 300 रु प्रति व्याख्यान (45 मिनट) देय होगा। प्रतिदिन अधिकतम 1200.00 तथा प्रतिमाह अधिकतम 31200/- रु. देय होगा।
- गुणानुक्रम में चयनित आवेदकों चयनित आवेदकों का स्वच्छ छवि हो एवं महाविद्यालय में फीड-बैक भी अनुशासित एवं कर्तव्य निष्ठ हो। यदि किसी चयनित आवेदकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत होगी तो चयन समिति एवं प्राचार्य का यह अधिकार होगा की उनके स्थान पर दूसरे क्रम को प्राथमिकता दिया जा सकेगा।
- अतिथि व्याख्याता किसी भी स्थिति से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे।
- पदों की संख्या आवश्यकतानुसार अधिक एवं कम की जा सकती है।
- चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लंबित न हो तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक न हो इस बाबत कार्यभार ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से लिखे एवं लिफाफा के उपर पदनाम एवं विषय अनिवार्य रूप से लिखे।
- इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय तक अपना आवेदन प्राचार्य इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम(छ.ग.) पिन कोड-491559 के पते पर भेज/जमा कर सकते हैं।



प्राचार्य
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
PANDARIA, DIST. KABIRDHAM (C.G.)

पण्डरिया, दिनांक 26/09/2022

पृ. क्रमांक / 327 / स्था. / 2022-23

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
- कलेक्टर, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- अग्रणी महाविद्यालय, शासकीय स्नातकोत्तर महावि. कवर्धा को सादर सूचनार्थ।
- महाविद्यालय सूचना पटल, पर चस्पा हेतु।


प्राचार्य
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
PANDARIA, DIST. KABIRDHAM (C.G.)